न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 04/2024 G.C.M.S. No. 2024/21 दर्ज दिनांक : 13.02.2024

अपीलार्थिगणः

01. जमनाबाई पत्नी गणेशराम, जाति मेघवाल, निवासी धाण, तहसील रेवदर, जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

01. जितेन्द्र कुमार पुत्र बजरंग लाल, जाति मेघवाल, निवासी चावण्डिया, तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेवदर, जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 169/2022 बअनवान जितेन्द्र कुमार बनाम जमना बाई में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री उमाराम देवासी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 169/2022 बअनवान जितेन्द्र कुमार बनाम जमना बाई में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जितेन्द्र कुमार ने सहायक कलेक्टर रेवदर की अदालत में एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बंटवाड़ करने कृषि आराजी हेतु प्रस्तुत किया था जिस पर मातहत अदालत ने दिनांक 6/12/2023 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर अदालत ने तहसीलदार रेवदर से बंटवाड प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये। उक्त प्रकरण में मातहत न्यायालय ने दिनांक 3/11/2023 को पेशी नियत थी उस दिन श्रीमान मातहत न्यायालय में कोर्ट में नहीं बैठने के कारण कोर्ट की सभी पत्रावलियां दिनांक 3/11/2023 से 29/12/2023 को मुकर्रर की गई, लेकिन इस पत्रावली में दोनों पक्षों के मध्य यह सहमति हुई थी की प्रतिवादी ने दिनांक 6/12/2023 को एक प्रार्थना पत्र इस बाबत लिखकर दिया था कि प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि के पूर्वी हिस्से का भाग जो ग्राम धाण से लगता हुआ आया है को, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एवं पश्चिमी हिस्से को वादी के पक्ष में बंटवाड़ किए जाने में प्रतिवादी संख्या 1 की पूर्णत सहमति है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का मौके पर भी पूर्वी भाग पर ही कब्जा काश्त कायम है एवं रास्ता भी दिलवाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

फरमावे। ऐसा प्रार्थना पत्र मातहत न्यायालय में पेश किया था उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद मातहत न्यायालय ने बंटवाड़ विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार रेवदर को तहरीर भेजने के आदेश किए थे। मातहत न्यायालय द्वारा जो प्रारंभिक डिक्री पारित की है वो सहमति अनुसार नहीं होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। मातहत न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलार्थी) द्वारा दिनांक 6/12/2023 को प्रार्थना पत्र के जरिये दी सहमति से परे जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जो अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14/12/2023 को पेश हुए उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियां प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिए बिना ही विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल कारित की हैं, अपीलार्थी की भूमि दो भागो में विभाजित हो गई है।

यह की रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अजनबी क्रेता है जिसका आज दिन तक कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा केवल कागजों में जमीन खरीदी है, मौके पर आज दिन तक ना तो उसका और नहीं उसके किसी प्रतिनिधि का कोई कब्जा रहा है। अपीलार्थी को सूचना दिए बिना ही मौका फर्द तैयार की गई जिसकी जानकारी मौका फर्द अवलोकन से स्पष्ट होती है अपीलार्थी का पुत्र मौके पर हाजिर होता तो मौके पर हस्ताक्षर अवश्य होते और यदि हस्ताक्षर करने से इन्कार करता तो हस्ताक्षर करने से इन्कार करने का पृष्ठांकन अंकित होता, लेकिन ऐसा उक्त फर्द पर अंकित नहीं है मौका फर्द मौके पर गये बिना ही ऑफिस में ही बैठकर तैयार की गई है, क्योंकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं है एवं अपीलार्थी का संपूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त कायम है। बंटवाड प्रस्ताव आपसी समझौता अनुसार तैयार करना बताया गया है लेकिन बंटवाड़ प्रस्ताव अपीलार्थी द्वारा दी हुई सहमति एवं समझौता से परे जाकर किया गया है। मातहत अदालत की कॉजलिस्ट का अवलोकन करने से साफ जाहिर है कि उक्त पत्रावली केवल समझौते के लिए ही श्रीमान मातहत न्यायालय ने 29/12/2023 से बदलकर 6/12/2023 को रखी लेकिन मातहत न्यायालय ने समझौते बिंदु से परे जाकर अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को फायदा पहुंचाने के लिए एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को बहुमूल्य कृषि भूमि देने के लिए बंटवाड़ प्रस्ताव पर कोई एतराज पेश करने का कोई अवसर दिए बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी करने में कानूनी भारी भूल कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावे।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2023 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया को प्रथम बार दिनांक 06.12.2023 में में प्रार्थिया द्वारा दी गयी सहमती से परे जाकर मातहत अदालत निर्णय पारित किया है प्रार्थिया ने कभी भी दिनांक 14.12.2023 पारित आदेश के अनुरूप कोई सहमति नहीं दी, इस कारण प्रार्थिया को प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.12.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाना न्यायोचित है। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो आज्ञापक विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से विधिविरूद्ध है। लिहाजा, ऐसे प्रकरण में विलंब सारवान रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है एवं प्रकरण में अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से विलंब कारित नहीं होकर विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 06.12.2023 के अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.12.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किए जाने का अंकन है, अर्थात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2023 के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के पूर्वी हिस्से का भाग जो ग्राम धाण पटवार हल्का धाण से लगता हुआ आया है, को प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में एवं पश्चिमी हिस्सा को वादी के पक्ष में बंटवाड़ किये जाने में सहमति बाबत पेश किया। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाई मिट्स बाउण्डस के आधार पर विभाजन किए जाने एवं इसी के अनुरूप तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। जो कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.12.2023 में पारित आदेश एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सहमति के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री सहमति योग्य नहीं है।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण मे न तो उभयपक्षकारान द्वारा हस्ताक्षरित कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया है एवं न ही अधिवक्ता वादी को प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया एवं न ही अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सहमति प्रकट किया जाना अभिलेख पर है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के लिए यह आज्ञापक है कि वह दिनांक 06.12.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2023 को प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र विधिवत रूप से निर्णित करते हुए वादपत्र में अग्रिम विचारण कार्यवाही संपादित करे।

5. वादपत्रों के निर्णयन के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना आज्ञापक है यदि प्रकरण में सभी पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा न्यायालय द्वारा ऐसा राजीनामा तस्दीक किया जाकर विधिसम्मत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति मे वादपत्र राजीनामे के आधार पर निर्णित व डिक्री किया जाता है। राजीनामे के अभाव में या प्रतिवादीगण में से कुछ पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर देने या कुछ प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने की दशा में ऐसे अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य लिए बिना प्राथमिक डिक्री पारित की गयी जो कि बिना साक्ष्य के पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है जो पुष्टि योग्य नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 169/2022 बअनवान जितेन्द्र कुमार बनाम जमना बाई में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023_को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 06.12.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र विधिवत निर्णित करते हुए वाद पत्र को आज्ञापक प्रक्रियागत विधिक प्रावधानो का अनुपालन करते हुए प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.05.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर रेवदर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)